सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

# रत्ना एवं आर–सीरीज हाइड्रोकार्बन क्षेत्र

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

## संघ सरकार
## पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
**2015 की प्रतिवेदन संख्या–43**
**(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

# Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd
# dk izfronu
## jRuk ,oa vkj&lhjht gkbMªksdkcZu {ks=

31 ekpZ 2015 dks lekIr vof/k ds fy,

la?k ljdkj

iVªksfy;e ,oa izkÑfrd xSl ea=ky;

2015 dh izfronu la[;k&43

¼vuqikyu ys[kkijh{kk½

# fo"k; lwph


| Øe la[;k | fo"k; | i"B la[;k |
|---|---|---|
| | प्राक्कथन | i |
| | कार्यकारी सार | iii - v |
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | पृष्ठभूमि | 2 |
| 3. | रत्ना एवं आर–सीरीज क्षेत्र | 2 |
| 4. | रत्ना एवं आर–सीरीज क्षेत्रों हेतु अनुबन्ध की बोली लगाना/प्रदान करना | 3 |
| 5. | सचिवों के समझौता वार्ता दल द्वारा विचार विमर्श | 7 |
| 6. | तकनीकी–विधिक मामलों पर विचार विमर्श | 7 |
| 7. | रॉयल्टी तथा उपकर के मामले | 8 |
| 8. | बोली लगाने वाले की वित्तीय क्षमता का पुनर्मूल्यांकन | 11 |
| 9. | सी सी ई ए स्वीकृति की प्रक्रिया | 12 |
| 10. | अप्रयुक्त सुविधाओं का रख–रखाव न करना | 15 |
| 11. | निर्णय लेने में देरी का प्रभाव | 18 |
| 12. | वित्तीय प्रभाव | 18 |
| 13. | निष्कर्ष | 20 |
| | अनुलग्नक | ए–1 से ए–8 |